पर्यटन और उद्योग के उद्देश्य से करते हैं, जिसके लिए उन्हें घंटों का समय लगता है। मुंबई और हैदराबाद तक यात्रा करने के लिए अभी बस सेवा और राजमार्ग उपलब्ध हैं, लेकिन यातायात के कारण उसमें समय का नुकसान होता है। वर्तमान में बेलगाम से मुंबई/हैदराबाद तक कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है और त्योहारों के समय बस से यात्रा करने के लिए लोगों को दोगुना या तीन गुना किराया देना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से जनता की माँग है कि इन शहरों के बीच प्रतिदिन रेलवे सेवा शुरू की जाये, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को सुगम तरह से यात्रा करने की सुविधा मिले। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रेल मंत्रालय तत्काल इस पर विचार करे और बेलगाम से मुंबई/हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए रेल सेवा शुरू करे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से रेलवे को राजस्व भी मिलेगा।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

Need to stop the reservation given to converted Scheduled Tribe people in the country

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान) : महोदय, देश की जनजातियों के विकास एवं उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, किन्तु कालांतर में ईसाई होने की शर्त पर धर्मांतरित हुए लोगों ने संस्कृति, आस्था एवं परंपराओं को त्याग दिया, फिर भी इन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 17 नवंबर, 1969 को एक संयुक्त संसदीय समिति ने लोक सभा में इसको लेकर संशोधन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा, किंतु ये लोग आरक्षण का बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहे हैं और मूल जनजाति के लोग आरक्षण की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। अपना धर्म त्याग कर ईसाई बन जाने वाले अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों पर अधिकार जमाते जा रहे हैं। भारत में एस.सी. ने केरल सरकार बनाम चंद्रमोहन

एआईआर 2004 एस.सी. 1672 एवं एवना लांकेई रिम्बाई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एवं अन्य, 2006 में अपने निर्णय में कहा है कि धर्मांतरण के बाद ऐसे लोगों को अजजा का नहीं माना जा सकता। संसद में अभी तक इस तरह का कोई संशोधन विधेयक नहीं लाया गया है, जिसमें भारतीय ईसाईयों को अजजा में रखा हो। संविधान (अजा अधिनियम 1960) कंडिका 2 में यह कहा गया है कि जो हिन्दू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को मानता हो, वह अजजा का सदस्य नहीं समझा जाएगा। अजा की भांति मूल जनजाति के आरक्षण में भी इस तरह का प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है। यह विडम्बना है कि धर्मांतरित लोग अल्पसंख्यक का फायदा भी उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि धर्मांतरित अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिल रहे आरक्षण को बन्द किया जाए।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, it is anti-tribes, anti-Christians and ...*(Interruptions)*...

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सतीश चंद्र दूबे (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SAMIR ORAON (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need for a solution to the issue of write-offs to Banks by Government and uniform policy for loan recovery

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, a Right to Information reply from the Reserve Bank of India to a newspaper has unearthed that there has been a huge amount of write-offs, of over Rs. 10 lakh crores in the last five years, to banks by the Government and an increase in non-performing assets. The sum of write-offs amounts to 61 per cent of India's gross fiscal deficit. According to data, 2,700 wilful defaulters were recorded in 2021-22. This number was 2,840 in 2020-21.

The Non Performing Assets have reduced considerably for banks. State Bank of India saw a Rs. 2.04 lakh crore reduction, Punjab National Bank saw a reduction of Rs. 67,000 crores and Bank of Baroda saw a reduction of Rs. 66,000 crores in the last five years. However, after receiving such write-offs repeatedly, the banks have no incentive to recover the said loans. This is evident in the fact that only 13 per cent of these loans have been recovered so far. Public sector banks account for 73 per cent of the write-offs reported.

There is no policy on recovery of such loans and manner of recovery, leaving the process of collection of loans entirely to the discretion of banks. Hence, there is a need to form a uniform policy for recovery of loans.

In this light, I urge the Government to find a solution to the concern of write-offs to the banks and their recovery henceforth.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.